न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 14/2018

अपीलाण्ट

1. श्रीमती नेनुबाई पत्नी जसाजी
2. सुकी पत्नी धरमाजी
3. बाबूसिंह पुत्र धरमाजी
4. अर्जुनसिंह पुत्र धरमाजी जातिगण राजपुरोहित निवासीगण थांवला तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. श्रीमति कमला पत्नी वेलाराम जाति माली (विलोपित)
2. जबरसिंह पुत्र जसाजी
3. भरतसिंह पुत्र जसाजी
4. भंवरसिंह पुत्र जसाजी
5. महेन्द्रसिंह पुत्र धरमाजी
6. छेलसिंह पुत्र धरमाजी
7. भंवरसिंह पुत्र सोहनसिंह के का0मु0
   - 7.1 गटूबाई बेवा सोहनसिंह
   - 7.2 विलास कंवर बेवा भंवरसिंह
   - 7.3 केसरसिंह पुत्र भंवरसिंह
   - 7.4 करणसिंह पुत्र भंवरसिंह
   - 7.5 भरतसिंह पुत्र भंवरसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण थांवला तहसील आहोर जिला जालोर
8. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर
9. मेघाराम पुत्र हेमाजी जाति मेघवाल निवासी थांवला
10. मसराराम पुत्र उकाजी जाति मेघवाल निवासी थांवला
11. ओबाराम पुत्र लसाजी जाति देवासी निवासी थांवला
12. विक्रमसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी थांवला
13. लकमाराम पुत्र तेजाराम जाति मेघवाल निवासी थांवला
14. आमीन खां पुत्र सरदार खां जाति मुसलमान निवासी थांवला
15. जगदीश प्रसाद पुत्र पुखराज जाति वैष्णव निवासी थांवला

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री मधुसूदन व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री सिकन्दर अली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 15/2/19

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2017 कमला बनाम भंवरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन एवं स्थाई व्यादेश हेतु वाद प्रस्तुत किया तथा उक्त वाद के साथ नक्शा परिशिष्ठ भी प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार विभाजन किए जाने तथा रास्ते सहित अनुतोष प्रदान कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत तारीख पेशी पर प्रतिवादी संख्या 3 से 10, जिनके सम्मन आबाद मकान पर चस्पा होने को सम्यक तामील मानते हुए, के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा इसके पश्चात दिनांक 19.01.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाबदावा बन्द कर दिया। इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त कराने हेतु सन्दर्भित नियमों के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का आदेश पारित किए बिना ही राजस्व लोक अदालत में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की, जो विधि विरूद्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से रेस्पोडेन्ट को अनुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से नवीन रास्ता प्रदान किया है, जबकि जो परम्परागत रास्ता मौके पर चल रहा है, उसे नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो अनुचित हैं। लोक अदालत में सभी पक्षकारों द्वारा सहमति व्यक्त किए जाने पर ही कोई निर्णय किया जा सका है। हस्तगत प्रकरण में सभी पक्षकारों द्वारा किसी प्रकार की सहमति व्यक्त नहीं की गई थी, इस कारण भी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री को चुनौती ही नहीं दी गई हैं। बिना प्राथमिक डिक्री को चुनौती दिए

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अन्तिम डिक्री को चुनौती नहीं दी जा सकती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री जारी की है तथा उस वक्त अपीलाण्ट द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई एवं न ही यह आपत्ति की कि आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र निर्णय से शेष हैं। इस स्थिति में अन्तिम डिक्री को दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता हैं। अपीलाण्ट द्वारा मात्र विभाजन से बचने हेतु प्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपस्थित पक्षकारान् की सहमति से प्राथमिक डिक्री पारित की। इसके पश्चात मात्र प्रकरण को लम्बा करने की गरज से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत किया तथा उसके बाद राजस्व लोक अदालत के तहत आयोजित कैम्प में उपस्थित होने के पर विभाजन की सहमति व्यक्त करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, वह विभाजन एवं स्थाई व्यादेश का था, जिस पर अपीलाण्ट बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की गई, जिसे जैर अपील निर्णय के जरिये अन्तिम किया गया। जिन तथ्यों को अपीलाण्ट द्वारा अपील में उठाया गया है, इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट सहित समस्त पक्षकारान् को राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किए गए थे, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट राजस्व लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस पर जब अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुए, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। अब प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या प्रारम्भिक डिक्री को चुनौती दिए बिना अन्तिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पोषणीय है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पृथक पृथक अभिमत अंकित किए है। इस सम्बन में डी0एन0जे0 2014 (रेवेन्यू) पेज 45 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 53, 188 – विभाजन हेतु वाद–अन्तिम डिक्री स्वीकार की – राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की और पुनः निर्णीत करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया–प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपील पेश नहीं की–प्रारम्भिक डिक्री की शुद्धता अन्तिम डिक्री के विरूद्ध अपील में प्रवारित है– प्रारम्भिक डिक्री अन्तिम हुई–'बी' की पुत्री 'के' आवश्यक पक्षकार नहीं थी और प्रतिवादी द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया गया–निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय अपास्त करने में त्रुटी की है।" हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री को किसी भी रूप में चुनौती नहीं दी, जिसके कारण प्राथमिक डिक्री अन्तिम हो चुकी है। चूंकि व्यथित पक्षकार द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, तो धारा 97 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान अन्तिम डिक्री की अपील के दौरान प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

डिक्री की शुद्धता पर आपत्ति उठाए जाने को वर्जित/प्रवारित करते हैं। उक्त धारा 97 का उद्धरण इस प्रकार है –

"97. Where any party aggrieved by a preliminary decree passed after the commencement of this Code does not appeal from such decree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final decree."

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के आधार पर हमारा मत है कि अपीलाण्ट अपने केस के प्रति सजग नहीं था, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण सिलसिलेवार एकपक्षीय कार्यवाही हुई है। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2017 कमला बनाम भंवरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2018 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/2/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर